कार्यालय,आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, मुजफ्फरपुर

Website : https://mymmc.org , E-mail ID mmc-muz.bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com, Control Room : 0621-2212647

पत्रांक– 03 दिनांक 09/01/2025

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार,
–सह–
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

Land Owner– श्रीमती कुमकुम कुमारी, पति–स्व0 विजय कृष्ण
ग्राम + मुहल्ला:– दामोदरपुर शांहजहां उर्फ डुमरी
पोस्ट– डुमरी, थाना:– सदर
मुजफ्फरपुर।

Builder-SAGUN ISHAN INFRA DEVELOPERS PVT. LTD.
निदेशक–श्री उपेन्द्र सिंह वो प्रणव कुमार पाण्डेय,
पता– प्रथम तल, 103, अम्प्रा प्लाजा रोड नं0–12, राजेन्द्र नगर कंकड़बाग, जिला–पटना।

विषय :– **प्लान केश संख्या– 162/2025 B+G+5 आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा, ग्राम +मुहल्ला– दामोदरपुर शांहजहां उर्फ डुमरी, जिला–मुजफ्फरपुर, अंचल–मुशहरी, थाना नं0–332, खाता सं0–18, खेसरा सं0–1265, भवन का प्रकार–B+G+5 आवासीय एवं व्यवसायिक रकवा 20 डी0 निर्मित क्षेत्र (Total Builtup Area) 2305.76 sqm बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007, बिहार भवन उपविधि 2014 के 315, 316, 317, 414 एवं 419 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर स्वीकृति दी जाती है :–

1. बिहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के नियमानुसार नगर निगम के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोड़ना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलापूर्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम बिल्डिंग बायलॉज के तहत किया जाएगा।
4. निगम में समर्पित भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र नक्शा आदि मे त्रुटि एवं गड़बडी की जवाबदेही स्वयं आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उसके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा के समय–समय पर निगम को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर निगम को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण उपरान्त कम्पलीशन प्रमाण पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

8. स्वीकृत नक्शे का एक प्रति कार्य स्थल पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय समय उप उसका जाच किया जा सके।
9. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस शर्त पर नक्शा स्वीकृत किया जाता है, यह स्वीकृति अगले पाँच वर्ष के लिये वैध होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन/शिकायत होने पर स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा एवं सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कारैवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार,
सह
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।